

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3653
(17 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत गांवों की कनेक्टिविटी

3653. श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत बनावसकांठा जिले सहित गुजरात के गांवों को आपस में जोड़ दिया गया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) यदि नहीं, तो उक्त क्षेत्र में गांवों को एक-दूसरे से जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) से (ग): प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई-1) एकबारगी विशिष्ट कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कोर नेटवर्क में निर्दिष्ट जनसंख्या आकार (2001 की जनगणना के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500+ और पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों और हिमालयी संघ राज्य क्षेत्रों में 250+) के पात्र सड़क संपर्कविहीन बसावटों को एकल बारहमासी सड़क के माध्यम से ग्रामीण संपर्कता प्रदान करना है।

इस कार्यक्रम की इकाई बसावट है, न कि राजस्व गांव या पंचायत। बसावट, किसी क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या का एक समूह है, जिसका स्थान समय के साथ नहीं बदलता है। गुजरात राज्य में पीएमजीएसवाई-1 के अंतर्गत 3,048 पात्र बसावटें स्वीकृत की गई थी तथा इन्हें पहले ही सड़क संपर्कता प्रदान की जा चुकी है। बनावसकांठा जिले में 150 पात्र बसावटों को मंजूरी दी गई और इन्हें पीएमजीएसवाई-1 के अंतर्गत पहले ही सड़क संपर्कता प्रदान की जा चुकी है।
